<u>**दिल्ली विकास प्राधिकरण**</u>

<u>[वित्त तथा व्यय]</u>

<u>**एफ एवं ई परिपत्र संख्या 16/ 2013**</u>

यह उच्चतर दायित्वों तथा उत्तरदायित्वों परंतु एकसमान ग्रेड वेतन वाले पदों पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में दिनांक 10.04.2013 के एफ एवं ई संख्या 08/2013 के संदर्भ में है।

यह देखने में आया है कि कुछ अधिकारियों/ प्राधिकारियों, जिन्हें नियमित पदोन्नति से पहले एसीपी स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति संबंधी वेतन मानों में वेतन निर्धारण के लाभ प्रदान किए गए हैं, ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 7.01.2013 के का.ज्ञा. संख्या 10/02/2011 ई.III/ ए के संदर्भानुसार वेतन निर्धारण के लाभ का दावा किया है।

इस संबंध दिनांक 7.1.2013 के का.ज्ञा. के अंतिम पैरा की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो निम्नानुसार है:-

“कि एक पद से दूसरे ऐसे पद पर पदोन्नति होने पर, जहां पदोन्नति पद का ग्रेड पे फीडर पद के समान है, वेतन का निर्धारण सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 के नियम 13(i) में यथाविहित तरीके से किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे मामले में वेतन की निर्धारण इस मंत्रालय के दिनांक 24.11.2000 के का.ज्ञा. संख्या 169/2/2000-आई सी के संदर्भानुसार 01.01.2006 से पहले किया गया हो।”

अत: दिनांक 07.01.2012 का उपर्युक्त का.ज्ञा.ऐसे मामलों पर लागू नहीं होता है जहां 5वें सीपीसी ने फीडर पद तथा पदोन्नति पद के लिए अलग-अलग वेतन मानों की सिफारिश की हो तथा पदोन्नति पद के वेतन मान नियमित पदोन्नति से पहले एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए हों।

यदि उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारण का कोई भी लाभ प्राप्त किया गया है तो इस कार्यालय को सूचना देते हुए तत्काल अनिवार्य वसूली की जाएगी।

**[मनीष कुमार]**

**मुख्य लेखा अधिकारी**

सं. एफई.98(02)/ 2008-09/एससीपीसी/ डीडीए/ भाग/ 479 दिनांकः 7.8.13

प्रतिलिपिः-

1. पत्र की सूचना के लिए निजी सचिव, एफ.एम./ ई.एम./ उपाध्यक्ष;
2. आयुक्त (कार्मिक)/ आयुक्त-सह-सचिव;
3. निदेशक (पी)-1 तथा 2/ एफए (एच)/ निदेशक (लेखा परीक्षा);
4. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-III/ सभी क्षेत्रीय उप सीएओ;
5. सभी डीडीओ;
6. गार्ड फाइल।

**लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**